



## प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 13.06.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

### 1. जनपदीय पुलिस द्वारा शान्ति भंग करने के 09 आरोपीयों को किया गिरफ्तार:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 13.06.2024 को शान्ति भंग कर रहे आरोपीगण **थाना मैनाठेर पुलिस** द्वारा आरोपीगण 1. सुलेमान पुत्र भूरा उर्फ भूरे, 2.समीम पुत्र सफीक अहमद निवासीगण ग्राम बरेठा खिजरपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद, 3. निरुध्द चौहान पुत्र स्व0 करनसिंह निवासी ग्राम फरीदपुर हमीर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद एवं **थाना भगतपुर पुलिस** द्वारा आरोपीगण 1. शीशपाल पुत्र लालमन, 2.प्रदीप कुमार पुत्र लालमन निवासी ग्राम बहेडी रोशनपुर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद तथा **थाना कांठ पुलिस** द्वारा आरोपीगण 1. भूरे सिंह पुत्र टेका सिंह, 2. दीपक पुत्र भूरे सिंह, 3. गोपीचन्द पुत्र भूरे सिंह निवासीगण ग्राम ध्यानपुरा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद, 4. चन्द्रपाल सैनी पुत्र लखपत सिंह निवासी ग्राम ढाकी थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं शान्तिव्यवस्था कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा 151/107/116 Cr.P.C में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**2- थाना गलशहीद पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुये 07 चोरी की बाईक बरामद कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी निगरानी/हिरासत में लिया गया।**



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर, मुरादाबाद एवं क्षेत्राधिकारी कटघर के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में आज दिनांक 13.06.2024 को थाना गलशहीद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर **अभियुक्त कदीर पुत्र खलील निवासी मोहल्ला टंडोला मनिहारो वाली मस्जिद के पास कस्बा व थाना टांडा जनपद रामपुर को गिरफ्तार थाना बाल अपचारी को निगरानी/हिरासत में लिया गया है।** जिनके कब्जे से चोरी की 07 मोटर (जो इनके द्वारा थाना गलशहीद एवं अन्य थाना क्षेत्रों के चोरी की गई थी) बरामद की गई हैं। जिनके सम्बन्ध में पूर्व से थाना गलशहीद एवं जनपद के अन्य थानों पर मुकदमें पंजीकृत हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

- 1-अभियुक्त कदीर पुत्र खलील निवासी मोहल्ला टंडोला मनिहारो वाली मस्जिद के पास कस्बा व थाना टांडा जनपद रामपुर
- 2-बाल अपचारी (निगरानी/हिरासत में)

**पूछताछ का विवरण**

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि लगभग तीन माह पहले अभियुक्त कादिर की मुलाकात एक शादी समारोह में बाल अपचारी से हुई थी जिसके बाद दोनों ने मिलकर चार मोटरसाईकिले भिन्न भिन्न दिनांक को चोरी

की तथा दिनांक 18.05.2024 बाल अपचारी नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती हो गया था उसके बाद अभियुक्त कादिर द्वारा तीन अन्य मोटरसाइकिले चोरी की गई दिनांक 10.06.2024 को बाल अपचारी नशा मुक्ति केन्द्र से बाहर आया। आज दोनों मिलकर चोरी की मोटरसाइकिलो को बेचने के लिए रामपुर ले जाने की फिराक में थे जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

### **बरामदगी**

1-बाइक HF-DELUXE रजि0 नंबर UP21 BJ3891 सम्बन्धित मु0अ0सं0-82/24 धारा 379 भादवि गलशहीद मुरादाबाद

2-स्प्लेंडर मोटर साइकिल बिना नंबर प्लेट सम्बन्धित मु0अ0सं0- 91/24 धारा 379 भादवि थाना गलशहीद मुरादाबाद

3-बाइक स्प्लेंडर रजि0 नं0- UP 21 BP 7038 सम्बन्धित मु0अ0सं0- 71/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली मुरादाबाद

4-बाइक स्प्लेन्डर बिना नंबर प्लेट सम्बन्धित मु0अ0सं0- 91/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद

5-बाइक स्प्लेन्डर रजि0 नं0- UP 21 BL 8912 सम्बन्धित मु0अ0सं0- 295/24 धारा 379 भादवि थाना कटघर मुरादाबाद

6-बाइक स्प्लेन्डर रजि0 नं0- UP 21 CL 9151 सम्बन्धित मु0अ0सं0- 297/24 धारा 379 भादवि थाना कटघर मुरादाबाद

7-बाइक स्प्लेन्डर रजि0 नं0-UP 22 AJ 3408 सम्बन्धित मु0अ0सं0- 514/24 धारा 379 भादवि थाना सि0ला0 मुरादाबाद

### **आपराधिक इतिहास –**

अभियुक्त कदीर पुत्र खलील निवासी मोहल्ला टंडोला मनियारो वाली मस्जिद के पास कस्बा व थाना टांडा जनपद रामपुर

1-मु0अ0सं0 82/24 धारा 379,411 भादवि थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद

2-मु0अ0सं0 91/24 धारा 379,411 भादवि थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद

3-मु0अ0सं0 71/24 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद

4-मु0अ0सं0 91/24 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद

5-मु0अ0सं0- 295/24 धारा 379,411 भादवि थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

6-मु0अ0स0 297/24 धारा 379,411 भादवि थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

7-मु0अ0सं0- 514/24 धारा 379,411 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद

### बाल अपचारी

1-मु0अ0स0 82/24 धारा 379,411 भादवि थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद

2-मु0अ0स0 91/24 धारा 379,411 भादवि थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद

3-मु0अ0स0 71/24 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद

4-मु0अ0स0 297/24 धारा 379,411 भादवि थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

### गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण :-

1-थानाध्यक्ष सौरभ त्यागी

2-उ0नि0 अमर मलिक

3-उ0नि0 कृष्णपाल सिंह

4-उ0नि0 सूरजवीर सिंह

5-उ0नि0 ऋषभ शर्मा


6-हे0 कां0 संदीप धामा

7-हे0 काँ0 शाकिर अली

8-कां0 रवित कुमार

9-कां0 सुमित पंवार

10-कां0 रोहित कुमार थाना गलशहीद, मुरादाबाद



**3- दिनांक 06.06.2024 को अलंकार ज्वेलर्स के यहां से ज्वेलरी व कैश लेकर गये व्यक्ति की हत्या का थाना कटघर पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुये 03 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तथा अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 85,00,000/- ( 85 लाख ) रुपये बरामद ।**



अवगत कराना है कि दिनांक 06.06.2024 को थाना कटघर पर तहरीरी सूचना प्राप्त हुई कि मैसर्स फूल कुमार रमेश कुमार एन्ड सन्स मंडी चौक साहू स्ट्रीट थाना कोतवाली जनपद मुसादाबाद के यहां नौकरी करने वाला अजय कुमार पुत्र भोला नाथ निवासी प्रतापगढ़, रुपये व जेवरात लेकर दिल्ली के लिये निकला है, जिससे सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटघर पर मु0अ0सं0 282/24 धारा 408 भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना होने पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुसादाबाद के निर्देशन में उपरोक्त व्यक्ति की शीघ्र खोज व ज्वैलरी की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी कटघर के पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित की गयी।

विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में संदिग्धों से पूछताछ करने पर संज्ञान में आया कि एक शव लेन्सडाउन की तरफ बिलासु गांव के पास सड़क किनारे खाई में पड़ा हुआ है। उक्त क्रम में प्राप्त साक्ष्यों व पूछताछ के आधार संदिग्ध व्यक्ति अनमोल उर्फ सनी पुत्र अजय कुमार निवासी मोहल्ला बस स्टैन्ड ब्लॉक कालोनी कस्बा व थाना नहटोर जनपद बिजनोर का नाम प्रकाश में आया। जिससे विस्तृत पूछताछ की गई अनमोल ने बताया कि उसने अजय कुमार को अन्य साथी 1-सोहन पुत्र राजेन्द्र कश्यप निवासी दरबारपुर थाना नहटोर जनपद बिजनोर 2- राजीव उर्फ राजू पुत्र रामनाथ निवासी बैरमनगर थाना नेहटोर जनपद बिनौजर के साथ मिलकर अजय की हत्या कर शव को रस्सी से बांधकर व पन्नी में लपेट कर लेन्सडाउन की तरफ बिलासु गांव के पास सड़क किनारे खाई में नीचे फेंक दिया था।

उक्त क्रम में अभियुक्त अनमोल को हिरासत में लेकर उसकी निशांदाही पर मृतक अजय कुमार के शव को लेन्सडाउन उत्तराखण्ड से बरामद किया गया तथा उसके कब्जे से ज्वैलरी की बिक्री से प्राप्त 82 लाख रुपये, घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर व 01 कार वैगनार UP-20-BR-0873, मृतक अजय का ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई.डी. कार्ड, फोटो, मृतक की पत्नी का आधार कार्ड, 02 एटीएम कार्ड बरामद किये गये तथा प्रकाश में आये अभियुक्तगण सोहन पुत्र राजेन्द्र कश्यप नि0 दरबारपुर थाना नहटोर जनपद बिजनोर व राजीव उर्फ राजू पुत्र रामनाथ नि0 बैरमनगर थाना नेहटोर जनपद बिनौजर को गिरफ्तार किया गया। सोहन के कब्जे से घटना से सम्बन्धित 01 लाख रुपये व राजीव के कब्जे से घटना से सम्बन्धित 02 लाख रुपये बरामद किये गये।

बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 302/34/201/411 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि० की बढोत्तरी की गई।

### **पूछताछ का विवरण:-**

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि अनमोल व अजय दोनों एक-दूसरे को पहले से ही जानते थे तथा दोनों 02 साल पहले सेठ अलंकार अग्रवाल पुत्र राजीव निवासी फूलविला ईदगाह रोड थाना कटघर जनपद मुरादाबाद के यहाँ सुनार की दुकान पर काम करते थे। अनमोल ने कुछ समय पहले वहां से नौकरी छोड़ दी थी और अजय सेठ अलंकार अग्रवाल के यहां ही दुकान पर नौकरी कर रहा था। अनमोल व अजय की गहरी दोस्ती थी, अनमोल के पिता एक मकान बनाम रहे थे जिसके लिये रुपयों की जरूरत पड़ रही थी। अजय को शेयर मार्केट में पैसा लगाने व कमाने की लत लग गयी थी। जिससे उसके पास भी रुपये खत्म हो गये थे। दोनों को रुपये की बहुत जरूरत थी। अजय सेठ के यहां से ज्वेलरी व रुपये कारोबार के लिये लेकर आता जाता था। अनमोल व अजय दोनों ने साथ मिलकर योजना बनायी कि जिस दिन ज्यादा ज्वैलरी और कैश होगा हम दोनों लोग उसको गायब कर देंगे और सेठ अलंकार अग्रवाल को झूठी व मनगढन्त कहानी बताकर लूट व टप्पेवाजी होना बता देंगे तथा ज्वैलरी को बेच देंगे। हमने कई बार ज्वेलरी को हड़पने की कोशिश की परन्तु मौका नहीं मिल पाया था। इसी दौरान अनमोल ने सारा पैसा हड़पने के उद्देश्य से अजय की हत्या करने की योजना अपने दो दोस्तों 1-सोहन पुत्र राजेन्द्र कश्यप नि० दरबारपुर थाना नहतोर जनपद बिजनोर 2-राजीव उर्फ राजू पुत्र रामनाथ नि० बैरमनगर थाना नेहतोर जनपद बिनौजर के साथ मिलकर बना रखी थी।

दिनांक 04.06.2024 (चार जून) को करीब 1300 ग्राम से ज्यादा ज्वैलरी व करीब 10 लाख रुपये अजय सेठ के यहां से लेकर आया था और अनमोल अपनी बैगनार कार से बिजनौर से मुरादाबाद आया और दोनों फत्तेपुर खड़जा, संभल रोड़ पर मिले तथा वहां से दोनों कार से ज्वैलरी लेकर नूरपुर पहुंचे जिसके बाद नूरपुर से नहतौर रोड पर एक बाग के पास पहुंचे तो अजय कुमार का जानने वाला एक व्यक्ति वहां मिला जिसने अजय से ज्वैलरी ली और ज्वैलरी के नगद रुपये दे दिये और वह वहाँ से चला गया। इसके बाद दोनों कार से रूपयों से भरा थैला लेकर नहतौर अपने नये बन रहे मकान पर पहुंचे। जहाँ पर पहले से ही अनमोल के दोनो साथी सोहन व राजीव मौजूद थे। योजना के अनुसार राजीव व सोहन ने दोनो तरफ से अजय को पकड़ लिया और अनमोल ने पीछे से अजय के सर में गोली मार दी गोली लगते ही अजय फर्श पर गिर गया तो अनमोल ने दो गोली और मारी। अभियुक्तगण ने अजय की तलाशी लेकर उसकी जेब से पर्स, मोबाइल आदि को निकाल लिये थे। और अजय का चेहरा भी ने बिगाड़ दिया था कि जिससे अजय की पहचान ना हो सके। तथा अजय के शव को रस्सी के बांधकर पन्नी में रखकर अपनी कार बैगनार की डिग्गी में रखकर ले गये तथा लेन्सडाउन उत्तराखण्ड में डिग्गी से निकालकर नीचे खाई में फेंक दिया उसके बाद राजीव उर्फ राजू तथा अनमोल उर्फ सनी वापस आ गये तथा अनमोल ने राजीव और सोहन को तयशुदा पैसे दे दिये। अजय के फोन को अनमोल द्वारा पूर्वयोजना के अनुसार गाजियाबाद दिल्ली के बीच दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास झाडियो में आन करके फेंक दिया था।

आज कटघर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की निशांदाही पर शव, घटना से सम्बन्धित कुल 85 लाख रुपये व एक अदद तमंचा 315 बोर, 09 खोखा कारतूस व कार बरामद की गई है।

## बरामदगी

1. घटना से सम्बन्धित कुल 85 लाख रुपये ।
2. घटना में प्रयुक्त एक कार वैगनार रजि0नं0 UP20BR0873
3. घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर व 09 खोखा कारतूस 315 बोर ।
4. मृतक अजय का ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पत्नी का आधार कार्ड, 02 एटीएम कार्ड ।

## अभियुक्त अनमोल उर्फ सनी का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 282/24 धारा 408/302/201/34/411 भादवि व 3/25/37 आ0अधि0 थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ।

## अभियुक्त सोहन का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 282/24 धारा 408/302/201/34/411 भादवि थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ।

## अभियुक्त राजीव उर्फ राजू का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 282/24 धारा 408/302/201/34/411 भादवि थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

## अभियुक्तगण से बरामदगी :-

- 1-अभियुक्त अनमोल उर्फ सनी पुत्र अजय कुमार नि0 मोहल्ला बस स्टेन्ड ब्लाक कालोनी कस्बा व थाना नहटोर जनपद बिजनोर से कुल 82,00,00/- (82 लाख) रुपये, एक कार वैगनार रजि0नं0 UP20BR0873, एक अदद तमंचा 315 बोर व 09 खोखा कारतूस 315 बोर व कार से मृतक अजय का ड्राइविंग लाइसेंस
- 2-राजीव उर्फ राजू पुत्र रामनाथ नि0 बैरमनगर थाना नेहटोर जनपद बिनौजर के कुल 2,00,000/- ( 02 लाख ) रुपये
- 3-सोहन पुत्र राजेन्द्र कश्यप नि0 दरबारपुर थाना नहटोर जनपद बिजनौर से कुल 1,00,000/- रुपये बरामद ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री तेजवीर सिंह थाना कटघर, मुरादाबाद।
- 2-एसओजी प्रभारी उ0नि0 श्री अमित कुमार मय एसओजी टीम ।
- 3-उ0नि0 श्री ब्रजेश कुमार थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ।
- 4-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ।
- 5-उ0नि0 श्री विमल किशोर थाना कटघर , मुरादाबाद।
- 6-है0का0 रवि राणा तैनाती थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ।

7-है0का0 कुलदीप कुमार तैनाती थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ।

8-का0 मौनू तैनाती थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ।

9-म0का0 मीनाक्षी तैनाती थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ।

10-फील्ड यूनिट टीम ।

